

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), दुर्ग वृत्त, दुर्ग (छ.ग.)

E-mail – ccf-durg.cg@gov.in, Phone No. 0788-2210160 & Fax- 0788-2210814

क्रमांक/तक.अधि./ 1339

दुर्ग, दिनांक 13/02/2021

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

(भू-प्रबंध/व.सं.अ.)

छ.ग. अटल नगर, नवा रायपुर

विषय :-

Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation

Act, 1980 Proposed for Diversion Land for To construct 3rd Railway line from Paniajob to Bortalao approximate 8 km, it covers Rainandgaon district to be used for freight and passenger services. Proposed alignment of 3rd line is a detour alignment, area-20.954 ha. – regarding.

Reg. No. FP/CG/RAIL/48681/2020.

संदर्भ :-

1) आपका पृ. क्र./भू-प्रबंध/विविध/एल.एम.115-868 बी/1757 दि.05.10.2020.

2) व.म.अ., खैरागढ़ का पत्र क्रमांक/तक.अधि./न.क्र.2-11/226 दि. 12.02.2021.

विषयांतर्गत निवेदन है कि, प्रकरण में आवेदक संस्थान कार्यपालन अभियंता (निर्माण) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे राजनांदगांव द्वारा पनियाजोब से बोरतलाब के मध्य तृतीय रेल्वे लाईन निर्माण कार्य के लिये 16.372 हे. वनभूमि एवं 4.582 हे. राजस्व वनभूमि (बड़े झाड़ के जंगल) कुल 20.954 हे. भूमि के व्यपवर्तन हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के निर्देशों के तहत नवीन चेक लिस्ट के अनुसार 01 से 44 बिन्दुओं पर प्रस्ताव वनमण्डल कार्यालय, खैरागढ़ को प्रस्तुत किया गया है।

वनमण्डलाधिकारी, खैरागढ़ द्वारा संदर्भित पत्र (2) के माध्यम से लेख किया है कि, प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमों/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण कर विषयांकित प्रकरण के व्यपवर्तन की अनुशंसा सहित प्रथम चरण स्वीकृति के लिए प्रस्ताव वनमण्डलाधिकारी, खैरागढ़ द्वारा प्रेषित किया गया है।

वनमण्डलाधिकारी, खैरागढ़ से प्राप्त व्यपवर्तन प्रस्ताव मूलतः 04 प्रतियों में मय डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट, भाग-2, भाग-3 (निरीक्षण प्रतिवेदन) एवं टाईम लाईन के अनुशंसा सहित आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न सम्प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

पृ.क्रमांक/तक.अधि./ 1340

प्रतिलिपि :-

- 1.) वनमण्डलाधिकारी, खैरागढ़ वनमण्डल, खैरागढ़ की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 2.) आवेदनकर्ता, कार्यपालन अभियंता (निर्माण) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, राजनांदगांव (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक,

दुर्ग वृत्त, दुर्ग (छ.ग.)

दुर्ग, दिनांक 13/02/2021

मुख्य वन संरक्षक,

दुर्ग वृत्त, दुर्ग (छ.ग.)

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-3

(संबंधित मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) द्वारा भरा जाना है)

14. स्थल जहाँ की वनभूमि शामिल की गई है। क्या इसका संबंधित मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) ने निरीक्षण किया है। (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रक्षेपों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

— “ नहीं ” —

15. क्या संबंधित मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) भाग (ख) में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत हैं।

— “ सहमत ” —

16. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

— व्यपवर्तन हेतु मांग की गई 16.372 हे. वनभूमि एवं 4.582 हे. राजस्व वनभूमि (बड़े झाड़ के जंगल) कुल 20.954 हे. भूमि की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक :- 12/02/2021

स्थान :- दुर्ग

(शालिनी रैना) भा.व.से.
मुख्य वन संरक्षक,
दुर्ग वृत्त, दुर्ग (छ.ग.)
21/2/21